

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (गोप्र)

क्रमांक / मापनीय / 2020 / २३

रीवा दिनांक ... ६.९.२०२०

आधिकारिक घोषणा


गोप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय के आदेश भोपाल दिनांक 13.08.2020 के परिपालन में स्नातक, स्नातकोत्तर परीक्षाओं के उत्तर पुरितकाओं के मूल्यांकन हेतु निमानुसार पारिश्रमिक दर का निर्धारण किया जाता है।

1. राग्रहण केन्द्रों में राग्रहण हेतु एक केन्द्राधिक, एक कार्य सहायक, एक मृत्यु भात्र दो दिवस के लिये नियुक्त किये जा सकेंगे।
2. अग्रणी महाविद्यालयों में ३० पु० के संकलन व व्यवस्थापन हेतु एक केन्द्राधिक, दो राहायक केन्द्राधिक, दो कार्य राहायक, दो भूत्य भात्र दो दिवस के लिये नियुक्त किये जा सकेंगे।
3. रवाध्यारी परीक्षार्थियों के अराइनगेन्ट मूल्यांकन हेतु रु० ५/- (पाँच) प्रति परीक्षार्थी (न्यूनतम् १०० रु०) की दर से भुगतान किया जाएगा।
4. प्राचार्य अग्रणी (नोडल) महाविद्यालयों को केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु पूर्व गे निर्धारित दर अनुसार ०.५० (पचास पैसो) प्रति उ० पु० की दर से राशि देय होगी। इसी से वह समन्वयक/सह समन्वयक/सहयोगी कर्मचारियों के लिए कार्य अनुसार भुगतान करेंगे।
5. वाहन के राग्रहण में अग्रणी महाविद्यालयों को संग्रहण केन्द्रों से उ० पु० मंगवाने हेतु रामान्यतया २ वाहन २ दिवरा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।

वाहन व्यवस्था हेतु—


विश्वविद्यालय द्वारा वाहन हेतु मान्य दर रूपये ६५०/- प्रति दिवस प्रति वाहन १० किलो मीटर प्रति लीटर की दर से लीजल का भुगतान किया जाता है, परीक्षा जैसे गहत्वपूर्ण कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए एवं कोविड-१९ के प्रोटोकाल के हिराव से सुरक्षा गानकों को लागू किये जाने पर आने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुये मात्र इस परीक्षा में राकलन कार्य में दो दिवरा के लिये लगे वाहनों के लिये रूपये ६५०/- प्रति दिवस के स्थान पर रूपये ८००/- भुगतान देय होगा।

राग्रहण नोडल केन्द्र १०.१०.२०२० तक अनिवार्य रूप से उत्तर पुरितकाओं का मूल्यांकन कराकर अंक प्रिश्वविद्यालय को प्रेपित करें ताकि शासन के आदेशानुसार परीक्षा परिणाम दिनांक २०.१०.२०२० तक घोषित किये जा सकें।


कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु—

1. प्राकार्य समस्त अग्रणी महाविद्यालय/नोडल केन्द्र
2. प्रमुख सचिव गोप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
3. अतिरिक्त संबालक महोदय, उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
4. विभागाधिक, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार पञ्च विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु उपलब्ध करायें।
5. वित्त नियन्त्रक, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
6. सहायक संचालक, इकानीय नियि अपरीक्षा अवार्ड प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
7. माननीय कुलसचिव जी के सचिव/कुलसचिव के नियम सहायक।


३२८
२६/९/२०२०
वाहन व्यवस्था